संक्षिप्त

दो आरोपी गिरफ्तार

नदबई भरतपुर (निस)। नदबई कस्बे में हंसू पोखर के समीप करीब ढेड माह पहले एक मकान से ढाई लाख की नगदी सहित करीब दस लाख के आभूषण चोरी के मामलें में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस सूत्रों के अनुसार नगर थाना क्षेत्र के गांव विडगमा निवासी अरसद मेव पुत्र पलटू मेव व इमरान पुत्र आशूं मेव को पुलिस ने कस्बा स्थित डहरामोड बस स्टेण्ड से हिरासत में लिया। बाद में जांच पडताल दौरान चोरी का मामला सामने आने पर पुलिस, दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जांच पडताल में जुट गई। गौरतलब है कि 30 अप्रेल की रात पीडित नाहरसिंह, अपने पोते दिनेश की बारात लेकर गया। इसी दौरान गिरफ्तार आरोपियों ने मकान की खिडकी तोड ढाई लाख की नगदी सहित दस लाख के आभूषण चोरी की बारदात को अंजाम दिया। बाद में मामला दर्ज होने पर थाना प्रभारी विजेन्द्र सिंह के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया।

समीक्षा बैठक

भरतपुर (निस)। जल संसाधन मंत्री एवं जिला प्रभारी सुरेश सिंह रावत 15 जून रविवार को एक दिवसीय दौरे भरतपुर पहुंचेंगे तथा प्रात: 11:30 बजे कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में भाग लेंगे। जिला कलक्टर डॉ. अमित यादव ने बताया कि बैठक में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के अन्तर्गत भरतपुर में चल रहे कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक कर प्रगति की समीक्षा करेंगे।

कार्यशाला का आयोजन आज

करौली, (निंसं.) अतिरिक्त जिला कलेक्टर हेमराज परिडवाल ने बताया कि वन्दे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के द्वारा आज शनिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में प्रात: 11:00 बजे मीडिया राउंड टेबल कार्यक्रम, कार्यशाला का आयोजन किया जायेगा।

तंबाकू सेवन देश के लिए एक बड़ी चुनौती : अतिरिक्त संभागीय आयुक्त

भरतपुर (निस)। भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की अनुपालना में भरतपुर संभाग में तंबाकू वेंडर लाइसेंसिंग प्रणाली का प्रभावी क्रियान्वयन करने हेतु संभाग स्तरीय कार्यशाला अतिरिक्त संभागीय आयुक्त कमल सिंह यादव की अध्यक्षता में शुक्रवार को संभागीय आयुक्त सभागार में आयोजित की गई। युवा पीढी में बढ़ते तंबाकू सेवन के सबंध में कोटपा और तंबाकू के लिए वेंडर लाइसेंसिंग के क्रियान्वयन पर चर्चा की।

- अतिरिक्त संभागीय आयुक्त ने कहा कि तंबाकू सेवन परिवार, समाज व देश के लिए भी एक बडी चुनौती बनती जा रही है

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त ने कहा कि तंबाकू सेवन परिवार, समाज व देश के लिए भी एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है। इसका प्रभाव हमारे देश की सामाजिक एवं अर्थव्यवस्था पर प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप पड रहा है। उन्होंने कहा कि बच्चों और युवाओं को तंबाकू के सेवन से बचाने के लिए सभी विभागों के अधिकारियों को एक टीम भावना से कार्य करने की आवश्यकता है।

उन्होंने कहा कि तबांकू मुक्त का मकसद जिले के शहरी एवं ठाामीण क्षेत्र और प्रदेश को तंबाकू सेवन से मुक्ति दिलाना है।

उन्होंने आमजन को जागरूक करने के लिये शहरी एवं ठाामीण क्षेत्रों के मुख्य मार्गों पर स्लोगन, संदेशप्रद चित्र बनवाने के निर्देश दिये। उन्होंने तंबाकू से बने उत्पाद की ब्रिकी के लिए वेंडर लाइसेंसिंग की व्यवस्था कड़ाई से लागू करने हेतु निर्देशित किया साथ ही अवैध रूप से बिक्री करने वाले डेयरी बूथ एवं जनरल स्टोर आदि पर नियमानुसार कडी कार्रवाई करें, तंबाकू वेंडर लाइसेंसिंग के लिये तंबाकू विक्रेताओं को प्रेरित करें। उन्होंने जिले में तंबाकू नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि अपने कार्यालयों में सार्वजनिक स्थानों पर गैर धूम्रपान क्षेत्र बोर्ड लगवायें और धूम्रपान करने वालों से जुर्माना भी वसूलें।

उन्होंने शैक्षिणक संस्थानों के पास 100 मीटर के दायरे में लगने वाली तम्बाकू की दुकानों को चिन्हित कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने जिले के तंबाकू थोक विक्रेताओं से राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कानून नियम 2003 के नियमों की अनुपालना करने के निर्देश दिए। नगर निगम के अधिकारी कार्य योजना बना कर सभी सम्बंधित विभागों के समन्वय से उसका प्रभावी क्रियान्वयन करना सुनिश्चित करें।

उन्होंने कहा कि तंबाकू नियंत्रण कानून के तहत सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान निषेध है जैसे सभागृह, अस्पताल, रेलवे स्टेशन, प्रतीक्षालय मनोरंजन केंद्र, अन्य कार्य स्थल, कार्यालय व दुकानें आदि उल्लंघन करने पर 200 रूपये का जुर्माना करने की कार्यवाही की जाये। धारा 5 के अंतर्गत तंबाकू उत्पादों के प्रचार-प्रसार हेतु विज्ञापन उनके द्वारा प्रयोजन एवं प्रोत्साहन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से निषेध है। उन्होंने कहा कि धारा 6 अ के अंतर्गत 18 वर्ष से कम आयु के अवयस्क व्यक्तियों को अथवा उनके द्वारा तंबाकू उत्पाद बेचना प्रतिबंधित हैं। धारा 6 ब के अनुसार शैक्षिणक संस्थानों के 100 गज के दूरी में तंबाकू उत्पाद विक्रय प्रतिबंधित है। धारा 7 के अंतर्गत तंबाकू उत्पादों पर चित्र में स्वास्थ्य चेतावनी प्रदर्शित होनी अनिवार्य है। बैठक में नगर निगम आयुक्त श्रवण कुमार विश्नोई, एसआरकेपीएस के राज्य समन्वयक हिरेन्द्र सेवदा, एनटीसीपी सैल से नीरजा कुंतल सहित अन्य संभागीय अधिकारी मौजूद रहे।

बाल श्रम पर विचार गोष्ठी

भरतपुर (निस)। कृषि महाविद्यालय भुसावर पर विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के उपलक्ष्य में विचारगोष्ठी का आयोजन किया गया। महाविद्यालय के डीन डॉ. उदय भान सिंह ने कहा कि वर्ष 2000 से लेकर 2 दशकों तक दुनिया में बाल मजदूरों की संख्या लगातार घट रही थी, लेकिन पिछले वर्षों में कोविड-19 महामारी व आर्थिक संकटों ने अधिक परिवारों को गरीबी में ढकेल दिया तथा बाल श्रम में प्रगति के बावजूद 160 मिलियन बच्चे बाल मजदूरी में लगे हुए हैं। उन्होंने बताया कि सबसे ज्यादा बाल श्रम अफ्रीका, एशिया व प्रशांत क्षेत्रों में हैं यानि कि निम्न आय वाले देशों में है। उन्होंने कहा कि 5 वर्ष से 17 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों से उनकी क्षमता से अधिक जोखिमपूर्ण कार्य करवाना जिससे उनका स्वास्थ्य एवं शिक्षा प्रभावित होती हैयह कानूनी अपराध है। उन्होंने बताया कि भारत सरकार ने 14 वर्ष तक आयु वर्ग के बच्चों की निशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की है। बाल श्रम रोकने के लिए परिवार, समाज, स्वयंसेवी संगठन व सरकार सभी को मिलकर कार्य करने की आवश्यकता है।

बसपा संगठन को मजबूती देने पर जोर

भरतपुर (निस)। बहुजन समाज पार्टी के तत्वावधान में सोगरिया मोहल्ला स्थित अम्बेडकर पार्क में कार्यकर्ता समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक के मुख्य अतिथि पार्टी के केन्द्रीय स्टेट कोऑर्डिनेटर भगवान सिंह बाबासाहब रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में जोन इंचार्ज मोती सिंह पार्षद मौजूद रहे, जबकि बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष सुरेश धर्मपुरा ने की। इस समीक्षा बैठक में जिले की सभी विधानसभा क्षेत्रों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। बैठक में नदबई विधानसभा को 29 सेक्टरों में बाँटकर सेक्टर और बूथ स्तर का कार्य वितरण किया गया। साथ ही सभी कार्यकर्ताओं को आगामी नगर निगम, जिला परिषद एवं पंचायत चुनावों को दृष्टिगत रखते हुए।

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda अंचल कार्यालय, बड़ौदा भवन, प्लाट नं. 13, एयरपोर्ट प्लाजा, दुर्गापुरा, टोंक रोड़, जयपुर 302018, फोन: 0141-2727101

सुनवाई अंतिम नोटिस

श्री योगेश कुमार मीणा, ककूसं. 173491, ग्राहक सेवा सहयोगी (क्लर्क) वर्तमान पदस्थापनाः बैंक ऑफ बड़ौदा, वजीरपुर शाखा, सवाई माधोपुर क्षेत्र, स्थाई पताः 4450, चौकड़ी तोपखाना, मीणों का मौहल्ला, आरएसी लाईन के पास, घाटगेट, जयपुर 302003 (राजस्थान) को सूचित किया जाता है कि आपके विरूद्ध बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही आदेश सं. सवा.मा.क्षे./सतर्कता/2024-25/सीएस/260-261 दिनांक 20.03.2025 द्वारा विभागीय जांच चल रही है। विभागीय जांच की सुनवाई की निश्चित तारीख 12 मई, 2025, 27 मई, 2025 एवं 10 जून, 2025 की सूचना स्पीड पोस्ट द्वारा दी गयी थी लेकिन श्री योगेश कुमार मीणा उल्लेखित नियत सुनवाई तारीखों पर अपना बचाव पक्ष रखने हेतु जांच अधिकारी (Enquiry Officer) के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ है। अतः आपको अपना बचाव पक्ष रखने हेतु सुनवाई का एक अंतिम अवसर देते हुए आदेशित किया जाता है कि दिनांक 27 जून, 2025 को प्रातः 10 बजे अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होवें। यदि आप उक्त दिनांक 27 जून, 2025 को जांच कार्यवाही में अनुपस्थित रहते है तो अधोहस्ताक्षरकर्ता (Undersigned) जांच कार्यबाही को आपके विरूद्ध एक पक्षीय (Ex-Parte) घोषित करते हुए आगामी कार्यवाही के लिए स्वतंत्र होगा।

अमरनाथ मीना- जांच अधिकारी (EO)
बैंक ऑफ बड़ौदा, अंचल कार्यालय, दुर्गापुरा, जयपुर (राज.)

कार्यालय नगरपरिषद, करौली (राज0)

फोन न.07464-294024 | ई-मेल आईडी np.karauli@yahoo.com | website - WWW.npkarauli.in

क्रमांक : 1178 | दिनांक : 11.06.2025

अभिरूचि की अभिव्यक्ति (Expression of Interest EOI) आमंत्रण सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अभिरूचि की अभिव्यक्ति (Expression of Interest EOI) आंमत्रण सूचना के सम्बन्ध में माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार द्वारा कोई भूखा ना सोऐ की अवधारणा के साथ करौली जिले में नगरपालिका क्षेत्र सपोटरा में निम्न श्री अन्नपूर्णा रसोईयो को खोला जाना प्रस्तावित है जो निम्न प्रकार है।

क्र. स.	नगरीय निकाय का नाम	प्रस्तावित रसोईयों की संख्या	पूर्व में संचालित रसोई संख्या	स्थान का विवरण	भवन चयन का विवरण
1	नगरपालिका क्षेत्र सपोटरा जिला करौली	02	801	मीना धर्मशाला सपोटरा	निजी / सरकारी
			359	कोतवाली के सामने	निजी / सरकारी

रसोईयो के संचालन का मूल उददेश्य न्यूनतम लागत पर जरूरतमद आमजन को सेवा भाव के आधार पर भोजन उपलब्ध कराना है अत: व्यवसायिक हित के स्थान पर सेवा भाव के आधार पर कार्य करने के इच्छुक प्रतिष्ठित गैर भासकीय/धार्मिक/स्वयं सेवी कल्याणकारी संस्था/सहकारी संस्था/फर्म/कॉर्पोरेट/स्थानीय स्वयं सहायता समूह/क्षेत्र स्तरीय संघ/नगर स्तरीय संघ को रसोईयों के संचालन हेतु करौली जिले की नगरपालिका सपोटरा में सूचीबद्ध एवं चयन करने हेतु दिनांक 23.06.2025 तक अभिरूचि की अभिव्यक्ति (EOI) आमंत्रित की जाती है। ग्राम/कस्वों की रसोईयों की संस्था की विरूतृत विवरण (EOI) में उपलब्ध है। प्रत्येक रसोई हेतु आवेदन पत्र अलग-अलग प्रस्तुत करना होगा। इच्छुक आवेदक जिला मुख्यालय नगर परिषद करौली में अपना आवेदन प्रस्तुत करेगा।

विस्तृत अभिरूचि की अभिव्यक्ति (EOI) तथा योजना के दिशा- निर्देश (गाईडलाईन) नगर परिषद करौली कार्यालय तथा नगर परिषद करौली की बेव साईट https://sppp.rajasthan.gov.in से प्राप्त की जा सकती है। UBN No.: DLB202526RFP0012

आयुक्त
पदेन सचिव जिला स्तरीय
समन्वय एवं मोनिटरिंग समिति(श्री.अ.र.यो.)

राज.संवाद/सी/25/4168

श्रमदान कर स्वच्छता का संदेश दिया

करौली । जिला कलेक्टर ने बताया कि शुक्रवार को जिले में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान पखवाडे के तहत कई कार्यक्रम आयोजित किये गये। जिला कलेक्टर ने बताया कि जिले में जल संसाधन विभाग के द्वारा नहरों एवं खालो की जल उपयोगिता संगम एवं कृषकों के सहयोग से साफ-सफाई आदि कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिसके अन्तर्गत सपोटरा के कालीसिल डैम व हिण्डौन के जग्गर बांध पर साफ-सफाई कर श्रमदान भी किया गया। जल उपभोक्ता समूहों की सहायता से कई कार्यक्रम आयोजित किये गये। जल शक्ति अभियान: कैच द रैन अंतर्गत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके साथ ही जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग के द्वारा पेयजल स्त्रोतो आदि की साफ-सफाई की गई व आरटी डब्ल्यू एचएस तकनीक की जानकारी दी गई। जल बचत हेतु जन जागृति कार्यक्रम, जल परीक्षण अभियान आयोजित किया गया।

सीएसआरकार्यशला सम्पन्न

करौली । वन्दे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के अन्तर्गत जिला स्तरीय सीएसआर कार्यषाला जिला कलक्टर नीलाभ सक्सेना की अध्यक्षता में शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में की गई।

कार्यशाला को संबोधित करते हुए जिला कलेक्टर ने कहा कि जल संठाहण ही नही बल्कि पानी की बचत ही पानी का संरक्षण है। इस दौरान उन्होंने उद्योग संगठनों एवं उद्यिमयों से जिले में सीएसआर के तहत विभिन्न जल संठाहण, संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण के संबंध में संचालित विभिन्न निर्माण कार्यो में योगदान देने की अपील की। साथ ही उन्होंने कहा कि यही नही उद्यमी संगठनों के प्रतिनिधि अपने अपने उद्योगिक उपक्रमों, फैक्ट्रियों, वेयर हाउसों, खनन क्षेत्रों, खनिज विपणन क्षेत्रों आदि में सीएसआर के तहत रेन वाटर हार्वेस्टिंग तंत्र, वृक्षारोपण आदि गतिविधियां संचालित कर सकते है। वहीं ऊर्जा ऑडिट कर बिजली की बचत करें। वैकल्पिक ऊर्जा स्त्रोत जैसे पीएम सूर्य घर योजना के तहत सोलर पैनल स्थापित कर सकते हैं।

पेयजल की बचत कर एवं भू-जल स्तर को बढाने में योगदान देकर वर्तमान एवं भावी पीढ़ी को भी लाभान्वित कर सकते है। कार्यशाला में आये हुए उद्यिमयों में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान व हरियालों राजस्थान के तहत बढचढ कर पेड़ लगवाने, पेयजल और बिजली की बचत करने, जल संठाहण व जल संरक्षण करने का संकल्प लिया।

हत्या प्रयास के मामले में तीन आरोपी गिरफ्तार

नदबई भरतपुर (निस)। नदबई लखनपुर थाना क्षेत्र के गांव गादौली के चर्चित जमीनी विवाद में दो पक्षों के बीच मारपीट होने के मामलें में पुलिस सीओ अमरसिंह राठौड़ ने कार्रवाई करते हुए एक पक्ष से तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। बाद में आरोपियों को जेल भेज दिया गया।

अस्पताल का निरीक्षण

रूपवास । क्षेत्रीय विधायक डॉ ऋतु बनावत ने शुक्रवार को उपजिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान विधायक ने बीसीएमओ को उपजिला अस्पताल परिसर में सफाई व्यवस्था को मजबूत रखने के निर्देश दिए। प्राप्त जानकारी के अनुसार विधायक डॉ ऋतु बनावत शुक्रवार दोपहर को उपजिला अस्पताल पहुंची। इस दौरान विधायक ने सामान्य वार्ड,प्रसूति वार्ड में भर्ती मरीज व उनके परिजनों से बातचीत कर स्वास्थ्य संबंधी कुशलक्षेम जानी। साथ ही मरीजों को मिल रही उपचार सुविधाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। निरीक्षण के दौरान विधायक ने उपजिला अस्पताल की साफ सफाई व्यवस्था,नि:शुल्क दवाई वितरण,लेबर रूम,आपातकाल,महिला वार्ड, सामान्य वार्ड का निरीक्षण किया। इस दौरान विधायक को उपजिला अस्पताल में साफ-सफाई की स्थिति भी बेहद दयनीय पाई गई। इस पर विधायक ने मौके पर मौजूद बीसीएमओ डॉ लखन सिंह को सफाई व्यवस्था को मजबूत रखने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि उपजिला अस्पताल में किसी भी कार्य मे लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर कोई भी कर्मचारी कार्य मे लापरवाही बरतता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। इस दौरान विधायक डॉ बनावत ने राज्य सरकार द्वारा चिकित्सा विभाग में चलाई जा रही महत्वाकांक्षी योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाने तथा अस्पताल में आने वाले मरीजों को बेहतर इलाज की सुविधा उपलब्ध करवाने तथा चिकित्सकों को बाहर की दवाई नही लिखने के अधिकारियों व चिकित्सकों को निर्देश दिए।

इस दौरान बीसीएमओ ने कहा कि इस समय अस्पताल में करीब 750 की रोजाना की ओपीडी है। गर्मी के मौसम को देखते हुए ओपीडी की बढ़ने की संभावना है। उन्होंने अस्पताल में विधायक से चिकित्सक लगवाने,मरीजों के लिए बेड बढ़वाने की मांग की। जिस विधायक ने सीएमएचओ से फोन पर वार्तालाप कर समस्या से अवगत कराया जिस पर सीएमएचओ ने उपजिला अस्पताल में बेड भिजवाने की बात कही। निरीक्षण के दौरान भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष ऋषि बंसल,बलबीर चौधरी,विशाल कौशल, अरुण परमार,मनीष कुमार, मुन्ना सिंह, हंसा बरौदा,नरेंद्र सिंह, राजन सिंह आदि मौजूद थे।

रक्तदान शिविर आज

हिंडौन सिटी। भारत विकास परिषद्, शाखा हिण्डौन सिटी एवम् जिला चिकित्सालय, हिण्डौन सिटी के संयुक्त तत्वाधान में निर्मल "ए" ठाुप ऑफ इंस्टीट्ययूशन्स, हिण्डौन सिटी के सहयोग से जिला चिकित्सालय परिसर में 14 जून विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर स्वैच्छिक रक्तदान शिविर आयोजित होगा। शिविर में करौली जिला कलैक्टर नीलाभ सक्सैना मुख्य अतिथि एवम् उपजिला कलैक्टर हेमराज गुर्जर विशिष्ट अतिथि होंगे। शाखा अध्यक्ष उपेन्द्र गुप्ता एवम् प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉ पुष्पेन्द्र गुप्ता ने साझा जानकारी देते हुए बताया कि प्रतिवर्ष जिला चिकित्सालय परिसर में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर आयोजित कर विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। शिविर में जिला चिकित्सालय के कई चिकित्सक, प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारी व उनके द्वारा प्रेरित अनेंक व्यक्ति स्वप्रेरित होकर रक्तदान करते हैं वहीं परिषद् परिवार के सदस्य, मातृशक्ति, पुत्र - पुत्री व परिषद् द्वारा आयोजित स्वैच्छिक रक्तदान शिविरों में नियमित रक्तदाताओं एवम् नए रक्तदाताओं द्वारा स्वैच्छिक रक्तदान किया जाता है। शिविर में अधिकाधिक रक्तदान के लिए पोस्टर, बैनर, स्लाइड से प्रचार किया जा रहा है वहीं स्थानीय नर्सिंग कॉलेजों, सेवा संगठनों आदि से आठाह किया है। रक्तदान प्रभारी मोहित मित्तल ने बताया कि जिला चिकित्सालय प्रशासन के सहयोग से रक्तदाताओं को समुचित व सुचारु व्यवस्थाएं देने हेतु भीषण गर्मी को देखते हुए शिविर स्थल पर आवश्यक सुविधाएँ पूर्ण कर ली गई है। शाखा द्वारा सभी सदस्यों की सामूहिक एकजुटता से प्रतिवर्ष नियमित रक्तदान शिविरों का आयोजन किया जाता है वहीं ब्लड बैंकों में रक्त की रिक्तता पूर्ति करने व कोरोना काल इत्यादि आपात स्थितियों में रक्तदान शिविर आयोजित किए गए हैं।

जयपुर विकास प्राधिकरण

जयपुर की प्राईम लोकेशन जगतपुरा में

सेन्ट्रल स्पाईन योजना स्थित व्यावसायिक भूखण्ड एवं रामचन्द्रपुरा योजना स्थित संस्थानिक भूखण्ड

ई-नीलामी के माध्यम से खरीदने का सुनहरा अवसर

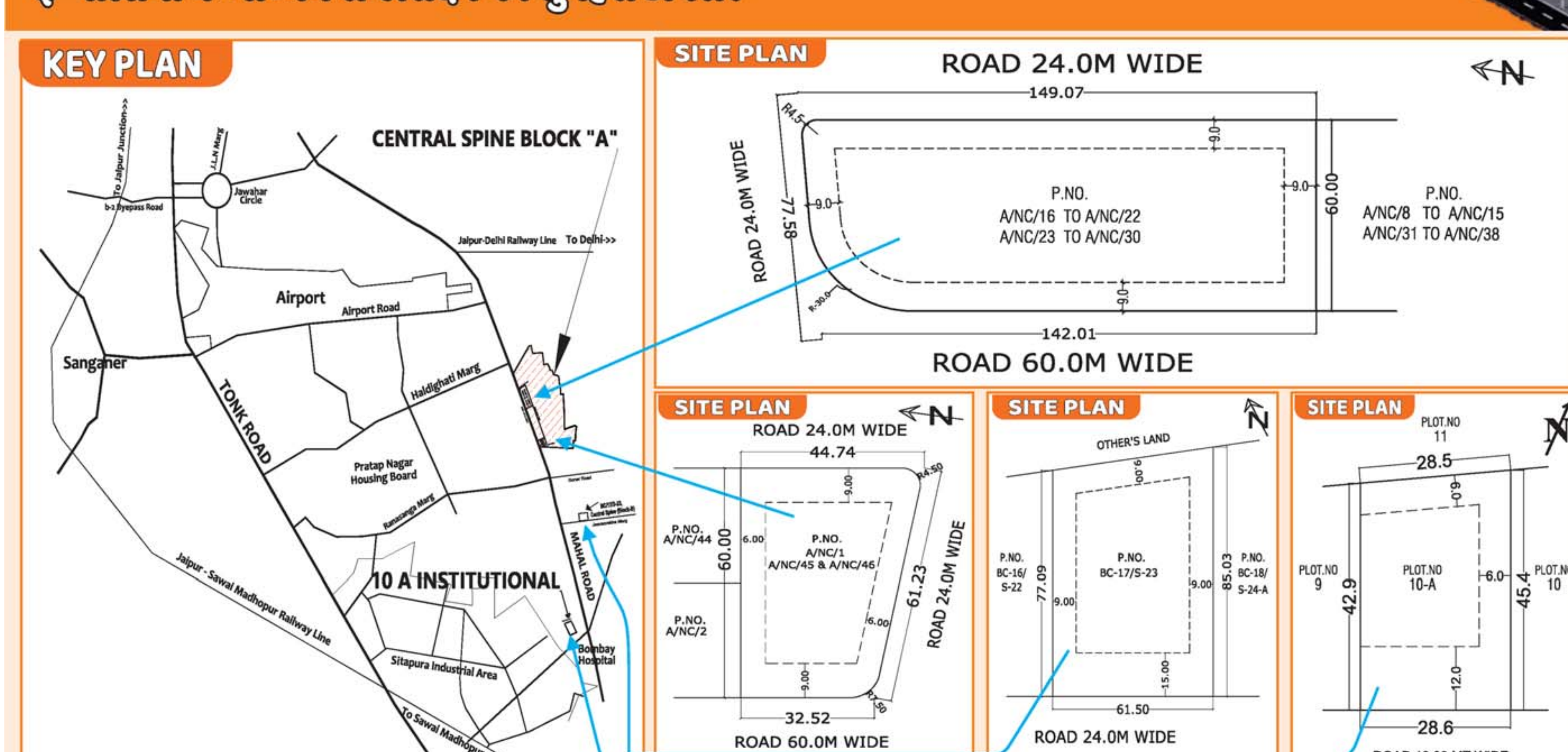

क्र. सं.	भूखण्ड संख्या	कॉर्नर हाँ/ना	साईज (वर्ग मीटर)	प्रकार	बी.ए.आर./एफ.ए.आर. अधिकतम ऊंचाई (मीटर) अधिकतम आच्छादित क्षेत्र	अमानत राशि (रुपये)	बोली प्रारम्भ करने की दर (प्रति व.मी.)	अमानत राशि जमा कराने की अंतिम तिथि व समय	नीलामी की अंतिम तिथि व समय
1	व्यावसायिक प्लॉट नं. A/NC/16 To A/NC/22 & A/NC/23 To A/NC/30 (Corner) Central Spine(Block-A), Jaipur (Zone-9)	हाँ	8570.11	व्यावसायिक	नियमानुसार	5,22,77,680	3,05,000	27.06.2025 11:00 AM	30.06.2025 12:30 PM
2	व्यावसायिक प्लॉट नं. A/NC/1, A/NC/45 & A/NC/46 (Corner), Central Spine (Block-A), Jaipur (Zone-9)	हाँ	2306.25	व्यावसायिक	नियमानुसार	1,45,29,380	3,15,000	01.07.2025 11:00 AM	02.07.2025 12:30 PM
3	व्यावसायिक प्लॉट नं. BC/17/S-23, Central Spine (Block-B), Jaipur (Zone-9)	हाँ	4985.19	व्यावसायिक	नियमानुसार	1,49,55,570	1,50,000	18.07.2025 11:00 AM	21.07.2025 12:30 PM
4	संस्थानिक प्लॉट नं. 10A, Ramchandrapura Scheme, Jaipur (Zone-9)	ना	1000.00	संस्थानिक	नियमानुसार	24,20,000	1,21,000	22.07.2025 11:00 AM	23.07.2025 12:30 PM

* अधिकतम ऊंचाई: एयरपोर्ट अथॉरिटी से प्राप्त एन.ओ.सी. के अनुसार, जो भी कम हो। बोली विस्तार: बोली लगाने का समय आगामी 5 मिनट के लिए और बढ़ाया जा सकता है (असीमित समय तक जब तक बोलियां लगातार प्राप्त होती रहें)। यदि इस विस्तारित अवधि के भीतर कोई बोली प्राप्त नहीं होती है, तो बोली स्वतः बंद हो जाएगी। अधिक जानकारी के लिए कृपया जविप्रा वेबसाइट: www.jda.rajasthan.gov.in पर लॉग ऑन करें या ई-नीलामी लिंक पर या ओएसडी (आरएम) से संपर्क करें (0141-2570678, 2569696 एक्स.-7021,7226, 1128, मोबाइल नंबर 9462569696)

नीलामी के नियम व शर्तों के लिए विजिट करें ज.वि.प्रा. की वेबसाईट www.jda.rajasthan.gov.in

Scan QR Code For More Details

अधिक जानकारी के लिए कॉल करें: +91-9462 569 696

इंदिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरु मार्ग, जयपुर-302004

राज. संवाद/सी/2025-26/4307